महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./प्रशा./एफ-24(ए)/2020/ 3395 दिनांक : 24.11.2020

कार्यालय ज्ञाप

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-5511/सत्तर-3-2020-08(20)/2020 दिनांक 24 नवम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में भैतिक रूप से पठन-पाठन दिनांक 23.11.2020 से पुनः आरम्भ किए जाने हेतु कन्टेनमेण्ट जोन के बाहर कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है।

वर्तमान परिदृश्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सावधानियों को विशेष रूप से सुरक्षा सम्बन्धी गाइडलाइन का विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा पूर्णतः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में कोविड-19 की चुनौतियों एवं सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए संलग्न शासनादेश में निहित मुख्य बिन्दुओं का पालन किया जाए।

संलग्नकः यथोक्त।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/चीफ प्राक्टर, विश्वविद्यालय परिसर
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक/निदेशक/सचिव,
   समस्त सम्बद्ध (राजकीय/सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित) महाविद्यालय।
3. वित्त अधिकारी।
4. परीक्षा नियन्त्रक।
5. मीडिया प्रभारी।
6. सहायक कुलसचिव, प्रशासन/परीक्षा।
7. निजी सचिव-कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
8. प्रभारी, विश्वविद्यालय बेवसाइट।
9. वैयक्तिक सहायक- कुलसचिव।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्या–5511 / सत्तर–3–2020–08(20) / 2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

3. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

4 **कुलसचिव,**
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉक 24 नवम्बर, 2020**

विषयः– कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय / निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में भौतिक रूप से पठन–पाठन पुनः आरम्भ किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–5453 / सत्तर–3–2020–08(20) / 2020, दिनांक 17 नवम्बर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पोस्ट लॉकडाउन अवधि में पठन–पाठन भौतिक रूप से दिनांक 23.11.2020 से आरम्भ किए जाने हेतु कन्टेनमेण्ट जोन के बाहर कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की गयी थी कि संस्था प्रबन्धन द्वारा जिला प्रशासन के परामर्श के अनुसार निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाय तथा इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया था कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्रो0 रजनीश जैन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–14–8 / 2020(सीपीपी–।।), दिनांक 05 नवम्बर, 2020 के साथ संलग्न यू0जी0सी0 गाइडलाइन का पालन किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 23.11.2020 से विश्वविद्यालय / महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में आपके द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

3– वर्तमान में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के दृष्टिगत गृह (गोपन) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–2337 / 2020–सीएक्स–3, दिनांक 23 नवम्बर, 2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कन्टेनमेण्ट जोन से बाहर समस्त सामाजिक / शैक्षिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(a) किसी भी बन्द स्थान यथा, हॉल / कमरे के निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

(b) उपरोक्त के साथ–साथ खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा एवं फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग एवं हैण्डवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जायेगा।

4– वर्तमान परिदृश्य में कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सावधानियों को विशेष रूप से सुरक्षा सम्बन्धी गाइडलाइन का विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा पूर्णतः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित चुनौतियों एवं सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

(क) <u>विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को पुनः खोलने के उपायः–</u>

(1) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से परिसर को खोलने की योजना बना सकते है, इसमें प्रशासनिक कार्यालय, अनुसंधान प्रयोगशालायें और पुस्तकालय आदि हो सकते है।

(2) उच्च शैक्षणिक संस्थान में शोधार्थी (Ph.D) एवं परास्नातक विज्ञान एवं तकनीकी विद्यार्थियों के प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों के लिये छात्र शामिल हो सकते है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–5107/सत्तर–3–2020–08(20)/2020, दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 द्वारा स्पष्ट दिशा–निर्देश दिए गए है।

(3) इसके अलावा अन्तिम वर्ष के छात्रों को भी संस्था/जिला प्रशासन के निर्णय के अनुसार शैक्षणिक तथा प्लेसमेण्ट उद्देश्यों के लिये शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।

उपरोक्त (1), (2) तथा (3) के लिये यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुल छात्रों का 50 प्रतिशत से अधिक किसी भी समय मौजूद नहीं हो। कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश/प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए।

(4) उक्त प्रस्तर–2 तथा 3 में उल्लिखित कार्यक्रमों/कक्षाओं/वर्गों के अतिरिक्त अन्य छात्र हेतु ऑनलाइन/डिस्टेन्स लर्निंग शिक्षण पर विशेष जोर दिया जाय तथा इसे प्रोत्साहित किया जाय।

(5) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय यदि आवश्यक समझे तो छात्र शारीरिक दूरी के मापदण्डों और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए भीड़ से बचते हुए संकाय सदस्यों के परामर्श के अनुसार अपने सम्बन्धित विभागों में कम संख्या में आ सकते है।

(6) जो छात्र कक्षा में आने का विकल्प नहीं चुनते है और घर मे रह कर ऑनलाइन अध्ययन करना चाहते है, तो ऐसे छात्रों के शिक्षण के लिये संस्थान द्वारा ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और ई–रिसोर्स उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के लिये एक योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबन्ध या वीजा सम्बन्धी मुद्दों के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते है, उनके लिये ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ख) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के परिसर को खोलने के लिये चुनौतियॉ :–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर, मानविकी, सामाजिक ज्ञान तथा पी0एचडी एव रिसर्च की शिक्षा ग्रहण की जाती है। संस्थान अपनी भौगोलिक स्थितियों, आकार, अवसंरचनात्मक क्षमता, कार्यक्रम के प्रकार और अवधि आदि में भिन्न होते है। इसके कारण परिसर को फिर से खोलने में उनके द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दें एवं चुनौतियॉ काफी भिन्न होती है। कोविड–19 महामारी के कारण भविष्य के अनिश्चितताओं और विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के कामकाज पर इसके प्रभान को ध्यान मे रखते हुए सभी छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भलाई सुनिश्चित करने के लिये चरणबद्ध तरीके से अपने परिसरों को फिर से खोलने की योजना बना सकते है। उच्च शिक्षण संस्थायें परिसर खोलने की योजना बनाते वक्त निम्नलिखित मुद्दों का विशेष ध्यान दिया जाय :–

(1) केन्द्र/राज्य सरकार, शिक्षा मंत्रालय तथा यू0जी0सी0 द्वारा कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिये समय–समय पर जारी एडवाइजरी, गाइडलाइन्स तथा दिशा–निर्देशों का अनुपालन।

(2) छात्रों के प्रवेश, शिक्षण सिखाने के तरीके, पाठ्यक्रमों को पूरा करना, परीक्षा, मूल्यांकन, परीक्षा के परिणाम की घोषणा और शैक्षिक कैलेण्डर आदि के सम्बन्ध में छात्रों में उत्पन्न अनिश्चितता।

(3) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के परिसर खुलने के बाद संक्रमण के डर से छात्रों की चिन्ता, मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक मुद्दों की समस्या।

(4) परिसर की सफाई, थर्मल जांच, शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, चेहरे को ढ़कना/मास्क पहनना, स्वास स्वच्छता तथा हाथ की सफाई आदि का सुरक्षा उपाय।

(5) संस्थान के आवासीय स्थिति के आधार पर, चाहे वह पूरी तरह आवासीय, आंशिक रूप से आवासीय या गैर आवासीय हों, कोविड–19 क जोखिम के मूल्यांकन और उसके बाद के कार्यों की तैयारी सुनिश्चित किया जाना।

(6) कोविड–19 महामारी की विभिन्न स्थितियॉ जहां छात्र मुख्य रूप से जोखिम से आच्छादित है तथा इससे उत्पन्न चुनौतियों के समाधान करने हेतु योजना बनाया जाना।

(7) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में छात्रों के अतिरिक्त उनके सम्पर्क में आने वाले शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी तथा काउन्सलर आदि को भी संक्रमण का गम्भीर खतरा हो सकता है जिस पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ग) सुरक्षा सम्बन्धी उपायः–

(1) संस्थानों को अपने कर्मचारियों तथा छात्रों को अपने परिसर में महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कार्यो में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाय। अप्रवासी छात्रों को केवल थर्मल स्कैनिंग, अपने हाथों की सैनिटाइजेशन, फेस मास्क और दस्ताने पहनने के बाद ही परिसरों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। रोगग्रस्त व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नही दी जानी चाहिए तथा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निकटतम अस्पताल से संपर्क करने की सलाह दी जानी चाहिए।

(2) संस्था में एक काउंसलर की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि छात्र काउंसलर से अपनी चिंता, तनाव या डर के बारे जानकारी दे सके तथा छात्र को उक्त तनाव से दूर रखा जा सके।

(3) कोविड–19 के संक्रमण से बचाने के लिए छात्रों, संकाय तथा कर्मचारियों में रोग के लक्षण दिखने पर उनकी जांच करायी जानी चाहिए।

(4) कोविड–19 से ग्रसित व्यक्तियों से सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटीन एवं आइसोलेशन सुविधा परिसर में होनी चाहिए तथा संस्थान द्वारा सरकारी अस्पताल एवं स्थानीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्यवाही की जा सके। क्वारंटीन तथा आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों का सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन एवं पानी आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(5) जिन व्यक्तियों की कोविड रिपोर्ट पॉजटिव आयी है, उन व्यक्तियों को परिसर में आइसोलेशन तथा नजदीकी अस्पातल में या स्थानीय अधिकारियों के साथ सलाह के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए।

(6) विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों में कोविड–19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बाहर के विशेषज्ञों को परिसर, अध्ययन पर्यटन, क्षेत्र कार्यो के लिए एक नीति बनानी चाहिए।

(7) ऐसे सभी कार्यक्रमों और अतिरिक्त गतिविधियों को आयोजित नहीं किया जाना चाहिए।

(8) स्थानीय प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के सलाह के अनुसार विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रावास, रसोई, मेस, वॉशरूम, लाइब्रेरी तथा क्लास रूम आदि की स्वच्छ तथा स्वच्छता की स्थिति सभी स्थानों पर बनाए रखी जाय।

(9) छात्रों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों को शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए उचित संकेत, प्रतीक, पोस्टर आदि को उचित स्थानों पर प्रदर्शित किया जाय। संस्था द्वारा स्थापित कोविड–19 सेल के विवरण को परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय जिसमें संस्था में किसी भी आपात स्थिति में आपातकालीन नम्बर, हेल्पलाइन नम्बर, ई–मेल आई0डी0 का विवरण उपलब्ध हो।

(10) आडिटोरियम, सम्मेलन/संगोष्ठी हॉल, खेल व्यायामशाला, कैण्टीन, पार्किंग आदि क्षेत्र में बीमारी से बचने के लिये शारीरिक दूरी, सैनेटाइज की व्यवस्था होनी चाहिए।

कृपया उक्त सीमा तक शासनादेश संख्या–5453/सत्तर–3–2020–08(20)/2020, दिनांक 17 नवम्बर, 2020 को संशोधित समझा जाय। शेष दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

24/11

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 5511 **(1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांक:**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
3– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।